

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1711/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट-सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग का कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - रसगाड़ी

तहसील-डीडीहाट, जिला-पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1711/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट-सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग का कार्य, लम्बाई 4.000 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य है० आरक्षित वन भूमि, 2.545 है० सिविल सोयम भूमि, 0.570 है० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 3.115 है० वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बैड़ा द्वारा दिनांक 10.11.20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गदाली एवं बड़ीगांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव/प्रमाणित अधिकारी
क्षेत्र-रसगाड़ी
विकास खण्ड-कनालीछीना (पिथौरागढ़)

ह०/-

ग्राम प्रधान

प्रधान

ग्राम पंचायत-रसगाड़ी
वि०ख० कनालीछीना
पिथौरागढ़

प्रपत्र-23.1

दिनांक:- 10-1-2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- रसगाड़ी

ग्राम गढ़ाली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	लालिटा सिंह सिन्हा	lallita
2	पार्वती देवी	पार्वती देवी
3	शशिदेवी देवी	शशिदेवी देवी
4	अर्जुन सिंह	Arjun
5	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह
6	पंकज सिंह	पंकज सिंह
7	नवीन सिंह	Naveen
8	जगन सिंह धामी	Jagan
9	कालावती देवी	कालावती देवी
10	पार्वती देवी	पार्वती देवी
11	मुन्नी धामी	मुन्नी धामी
12	रवगोष्ठ सिंह धामी	रवगोष्ठ सिंह
13	पुष्पा देवी	Pushpa
14	(पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह
15	गोदावरी देवी	
16	(पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह
17	लीला देवी	लीला देवी
18	भागीरथी देवी	भागीरथी देवी
19	जिम्मा देवी	जिम्मा देवी
20	मुन्नी	Munni
21	रवगोष्ठ सिंह	रवगोष्ठ सिंह
22	जसवन्त सिंह	Jaswant

ह0/-

ग्राम प्रधान

पुष्पा

प्रधान

ग्राम पंचायत-रसगाड़ी
पिन्खो कनालीछोना,
पिथौरागढ़

प्रपत्र-23.1

दिनांक:- 10-1-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- रसगाड़ी

ग्राम - बड़ीगाँव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नारायण सिंह	नारायण सिंह
2	निलोक सिंह बिष्ट	निलोक सिंह
3	गोविन्द सिंह बिष्ट	गोविन्द सिंह
4	लाल सिंह बिष्ट	लाल सिंह
5	शश सिंह बिष्ट	शश
6	शशेंद्र सिंह	शशेंद्र
7	नारायण सिंह	नारायण
8	बलदेव सिंह	बलदेव सिंह
9	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
10	मोहन सिंह	
11	शशेंद्र सिंह	शशेंद्र सिंह
12	नरेन्द्र सिंह	
13	धन सिंह	धन सिंह
14	चन्द सिंह	Chander Singh
15	मागीरका देवी	मागीरका देवी
16	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
17	कमला देवी	कमला देवी
18	बलवती देवी	बलवती देवी
19	पार्वती देवी	पार्वती देवी
20	कमल सिंह	Kamla Singh
21	कुल्लु देवी	कुल्लु देवी
22	निलोक देवी	निलोक देवी

प्रधान

ह0/-

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत-रसगाड़ी
वि०ख० कनालीछीना,
पिथौरागढ़

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1711/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडोहाट के अन्तर्गत अस्कोट-सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग का कार्य।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, डीडोहाट (पिथौरागढ़)
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, डीडोहाट (पिथौरागढ़)

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1711/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडोहाट के अन्तर्गत अस्कोट-सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग का कार्य, लम्बाई 4.00 कि0मी0 (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.545 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.570 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.115 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डीडोहाट) की दिनांक 22.06.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी महोदय, अध्यक्ष उपखण्डस्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|------------------|----------------------------|---|
| 1- | उपजिलाधिकारी, | (अध्यक्ष) |
| 2- आर. एस. विष्ट | उपप्रभागीय वनाधिकारी, | (सदस्य) / प्रतिनिधि वनक्षेत्राधिकारी अस्कोट |
| 3- उपपाल सिंह | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, | (सदस्य / सचिव) |
| 4- निशा देवी | बी0डी0सी0 क्षेत्र रसगाड़ी | (सदस्य) निशा देवी |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि 1711/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडोहाट के अन्तर्गत अस्कोट-सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग का कार्य। (लम्बाई 4.000 कि0मी0) परियोजना हेतु 3.115 हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी आर. एस. विष्ट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है।

अतः प्रकरण में उपखण्ड वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत 1711/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडोहाट के अन्तर्गत अस्कोट-सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग का कार्य (लम्बाई 4.000 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु 3.115 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

हिमन्ती देवी

क्षेत्र पंचायत सदस्य
क्षेत्र पंचायत-खेतार कन्याल
वि0ख0 डीडोहाट (पिथौरागढ़)तबस्य
क्षेत्र पंचायत सचिव
वि0ख0 डीडोहाट (पिथौरागढ़)विवेकानन्द जेठ
सदस्यक्षेत्र पंचायत-पौसाल
वि0ख0 कनालीडीना (पिथौरागढ़)उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनअधिकार समिति
तहसील- डीडोहाट
जनपद -पिथौरागढ़

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महादेय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनअधिकार समिति
तहसील- डीडोहाट
जनपद -पिथौरागढ़

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1711/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट-सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग का कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहतप्रमाण-पत्र
जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1711/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट-सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग का कार्य, लम्बाई 4.00 कि0मी0 (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.545 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.570 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.115 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डीडिहाट) की दिनांक 1.09.2008 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं विभाग 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डॉ. विजय कुमार जोशी जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

डॉ. विजय कुमार जोशी

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1- श्री | जिलाधिकारी, | (अध्यक्ष) |
| 2- श्री <u>विजय कुमार जोशी</u> | प्रभागीय वनाधिकारी, | (सदस्य) |
| 3- श्री <u>विद्याकुमार कपड़ी</u> | जिला समाज कल्याण अधिकारी, | (सदस्य/सचिव) |
| 4- श्री <u>श्रीगंगाजी कर्तव</u> | जिला पंचायत क्षेत्र <u>मेतली</u> | (सदस्य) |
| 5- श्री <u>सुरेश शिंदे</u> | जिला पंचायत क्षेत्र <u>खेला 02</u> | (सदस्य) |
| 6- श्री <u>मती फुल्पा देवी</u> | जिला पंचायत क्षेत्र <u>09 नाचनी</u> | (सदस्य) |

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि 1711/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट-सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग का कार्य। (लम्बाई 4.000 कि0मी0) परियोजना हेतु 3.115 हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2006 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत 1711/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट-सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग का कार्य (लम्बाई 4.000 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु 3.115 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

जिलाधिकारी (अध्यक्ष) पिथौरागढ़।

प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य)

विशेष निदेशक (सदस्य)
पिथौरागढ़जिलाधिकारी
पिथौरागढ़जिला समाज कल्याण अधिकारी
(सदस्य/सचिव)
पिथौरागढ़।

जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)

जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)

जिला पंचायत खेला 02
धारचूला (पिथौरागढ़)

जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)

जिला पंचायत सदस्य
धनाना, पिथौरागढ़

FROM -1

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

No. 69 OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAGARH

No. 01.09.2020

Dated. 01.09.2020

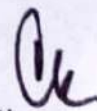
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF's letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **3.115** Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Construction Division P.W.D. Askote) for **Construction of Askote-Senthal To Mochora (Saheed Jaman Singh) Moter Road.** (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdiction of **Gadali, Badigaon Didihat Tahsils.**

It is further certified that:-

- The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire **3.115** hectares area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) sub-division level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities

Encl: As above


Signature
पिथौरागढ़

(Full Name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that :

Sl. No.		
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 3.115 of forest area proposed for diversion . A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee are enclosed an annexure I to annexure.	Yes. Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate of concerned motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

Encl: As above

Signature

जिस प्रकार

(Full Name of the official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Dr. Vijay Kumar Jogdande I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 01.09.2020 at time 5.00 at P.M. in which application claiming rights in Rasgadi, Gadali, Badigaon & Bijori area measuring 3.115 hect for the construction of Askote-Sainthal to Machora (Saheed Jaman Singh) Motor Road (KM-4.0) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the division level committee of C.D.P.W.D Askote division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;... Pithoragarh
Dated: 01.09.2020


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee